

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3 / शिकायत) विभाग

क्रमांक प. 2(2)(68)का / क-3 / शिका. / 2018

जयपुर, दिनांक 20/2/19

आदेश

डॉ राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 194/2018 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 10.07.18 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

अतः राज्य सरकार, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के इत्तद्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ० राजेश शर्मा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से

Sd
(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।

2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर, को डॉ० राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ० राजेश शर्मा को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।

5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज० जयपुर।

6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि डॉ० राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को निलम्बन हेतु रखी गई उपरिथिति पंजिका में उपरिथिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अद्वैतन के अवकाश पर रहते, के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।

7. ✓ डॉ० राजेश शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपरिथिति पंजिका में उपरिथिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।

8. कार्मिक (क-१/गो.प्र.) विभाग

9. कोषाधिकारी, जयपुर।

10. रक्षित पत्रावली।

(एन. एल. राव)

सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :— सीबी/सीएएस/आर-509/2019/189

दिनांक : 21/2/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-3/शिका)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.2(2)(68)का / क-3/ जांच / 2018 दिनांक 20.02.19 के कम में।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन-उदयपुर/जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० राजेश शर्मा तत्का० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ढूगरपुर हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर को कार्मिक विभाग का निलम्बन आदेश दिनांक 20.02.2019 तामिल कराकर तामिल रसीद भिजवाते हुए डॉ० शर्मा को निलम्बित काल में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जयपुर में उपस्थिति प्रतिवेदन हेतु निर्देशित करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ढूगरपुर।
6. अति० प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग/एटीसी, मुख्यालय।
7. डॉ० राजेश शर्मा तत्का० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ढूगरपुर हाल खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।